संख्या-393/2023/1309/22-2-2023-17(332)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वैभव जैन पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार जैन, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14370/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-02.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वैभव जैन पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार जैन, रोशन बाग सिविल लाइन, थाना-सिविल लाइन, जनपद-रामपुर का निवासी है। दिनांक 06.05.2004 को अभियुक्त ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसों के लिये संजीव कुमार गोयल नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया, पैसे न मिलकर पर उसकी चाकू से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2005/76, भा0द0वि0 की धारा-302/149,120बी, 364, 201 व 427 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), रामपुर के आदेश दिनांक 09.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-28.09.2020 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 25.04.2023 तक 17 वर्ष 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में बन्दी के अपराधिक प्रवत्ति का व्यक्ति होने, पत्नी से वर्ष 2011 में तलाक होने, बन्दी का स्थाई निवास नही होने, माता-पिता द्वारा स्थान बदल-बदल कर निवास करने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी के अपराध जगत में अग्रसर होने की संभावना से इनकार नही किये जाने, परिवारीजन का कोई स्थायी निवास नही होने, बन्दी के फरार होने की संभावना से इनकार नही किये जाने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 06.05.2004 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसों के लिये संजीव कुमार गोयल नामक व्यक्ति का अपहरण कर पैसे न मिलने पर उसकी चाकू से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आनं प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी वैभव जैन पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार जैन, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वैभव जैन (बन्दी संख्या-42573) पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार जैन, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

संख्या-393/2023/1309(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को अवमाननावाद (सिविल) डायरी संख्या-12538/2023 दिनेश व अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य से सम्बन्धित रिट याचिका (क्रि0) नत्थूलाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सहबद्ध अवमाननावाद संख्या-778/2023 अनिल बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 21.04.2023 के सन्दर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-393/2023/1309/22-2-2023-17(332)/2023

दिनांक 21 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वैभव जैन पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार जैन, रोशन बाग सिविल लाइन, थाना-सिविल लाइन, जनपद-रामपुर का निवासी है। दिनांक 06.05.2004 को अभियुक्त ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसों के लिये संजीव कुमार गोयल नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया, पैसे न मिलकर पर उसकी चाकू से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2005/76, भा0द0वि0 की धारा-302/149,120बी, 364, 201 व 427 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), रामपुर के आदेश दिनांक 09.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-28.09.2020 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 25.04.2023 तक 17 वर्ष 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में बन्दी के अपराधिक प्रवत्ति का व्यक्ति होने, पत्नी से वर्ष 2011 में तलाक होने, बन्दी का स्थाई निवास नही होने, माता-पिता द्वारा स्थान बदल-बदल कर निवास करने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी के अपराध जगत में अग्रसर होने की संभावना से इनकार नही किये जाने, परिवारीजन का कोई स्थायी निवास नही होने, बन्दी के फरार होने की संभावना से इनकार नही किये जाने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 06.05.2004 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसों के लिये संजीव कुमार गोयल नामक व्यक्ति का अपहरण कर पैसे न मिलने पर उसकी चाकू से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आनं प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी वैभव जैन पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार जैन, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in